

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या अहकाम हुकम की में जारी
---------------	-----------------------------------	--

- 20.1.23 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। पूर्व में दिये गए आदेश की पालना हेतु अवसर चाहा। अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 2.2.23 को पेश हो।
- 2.2.23 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीनरसान अधिकारी महोदय वॉर/अपकाश/अन्य राजकार्य में तस्वीर रखते हैं। पत्रावली दि 21.2.23 को पेश हो।
- 21.2.23 पत्रावली पेश हुई। अभिलेखियों द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। पत्रावली यास्ते साविष्ट कार्यवाही दिनांक 29.2.23 को पेश हो।
- 23.3.23 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित हैं। तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर हिस्सा अनुसार कब्जा होने, सहखतेदारों का सुवानिया एवं नैनवां II की जमाबंदी से मिलान होने तथा चन्द्रा एवं रामचन्द्र एक ही व्यक्ति होने से प्रार्थी का नाम चन्द्रा के स्थान पर रामचन्द्र किया जाना उचित है। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, पुस्तक रिपोर्ट दस्तावेज तथा तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहल प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहल में तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। न्यायालय रिपोर्ट




तारीख
हुयम

हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुयम की तामील
में जारी हुए

तहसीलदार नैनवां के आचार पर
पार्थी का पार्थना पत्र स्वीकार किया
जाना उचित समझता है। अतः
पार्थी का पार्थना पत्र स्वीकार किया
जाता है। ग्राम नैनवां II जिला बून्दी
की खसरा संख्या 1131 रुबा 39-16
बीघा, खसरा संख्या 1032 रुबा
0-13 बीघा भूमियों की खाता संख्या
187 में दर्ज "चन्द्रा आत्मज गणेश"
के स्थान पर "समचन्द्र आत्मज गणेश"
संशोधित किये जाने के आदेश
तहसीलदार नैनवां को दिये जाते हैं।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया
गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल
दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)